दिनांक 02 मई, 2013 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर सुभाष धूलिया, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर आर0सी0 पंत, पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	सदस्य
3.	प्रोफेसर भारत भूषण, निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रोफेसर नागेश्वर राव, पं0जे0एन0 इन्सटीटूयूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट, उज्जैन।	सदस्य
5.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0,हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य

9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान, विद्या शाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

10. डॉ0 मदन मोहन जोशी, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, इतिहास,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, वानिकी,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य सचिव
कुलसचिव/
निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव(सचिव विद्या परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का विद्या परिषद की पंचम बैठक में स्वागत किया गया। बैठक के आरम्भ में कुलसचिव द्वारा परिषद को बताया गया कि प्रोफेसर सुभाष धूलिया पहली बार परिषद की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुलसचिव द्वारा आग्रह किया गया कि सभी सदस्य अपना परिचय दे दें। तत्पश्चात् कुलसचिव ने कुलपति तथा माननीय सदस्यों को आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना और उत्तराखण्ड में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अनुरोध किया। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में की गयी नई पहलुओं की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि फैकल्टी के लिए मुक्त व दूरस्थ शिक्षा की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और अध्ययन केन्द्रों को मजबूत करने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं तथा यह भी प्रकाश डाला कि विश्वविद्यालय नई अर्थव्यवस्था में उभर रहे नये क्षेत्रों में रोजगारपरक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। रोजगारपरक कार्यक्रम केवल अध्ययन सामग्री के आधार पर ही प्रभावशाली नहीं हो सकते इसके लिये प्रशिक्षण आयोजित करना भी अनिवार्य है। विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों में कार्यशालाओं का आयोजन भी शामिल करेगा। कुलपति ने दूरस्थ शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुये बताया कि बेरोजगारी उत्तराखण्ड में बड़ी समस्या है। पारम्परिक विषयों के साथ-साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये। सदस्यों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि प्रारम्भिक कम्प्यूटर पाठ्यक्रम रोजगार हेतु विकसित किये जाने चाहिये। कुलपति द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि अध्ययन में उभरे हुये नये क्षेत्रों और बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को मिश्रित प्रणाली **(Blended mode)** में शिक्षा देने के लिये प्रयास करने चाहिए। कार्यसूची पर विधिवत् चर्चा से पहले प्रोफेसर नागेश्वर राव द्वारा वर्तमान कुलपति द्वारा की जा रही नई

पहलुओं की सराहना की गयी तथा निवर्तमान कुलपति के योगदान की भी प्रंशसा की गयी। तदुपरान्त परिषद द्वारा कार्यसूची में निम्नवत् विचार किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 5.01- विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 05 मार्च, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 05 मार्च, 2012 के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 5.02 विद्या परिषद की चर्तुथ बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक की कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव संख्या 4.07 जिसमें पीएच0डी0 उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इग्नू के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने पर प्रकाश डाला गया। पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में क्रियान्वित करने पर भी जोर दिया गया इसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ कि पीएच0डी0 कार्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विधिक राय ली जानी वाछंनीय होगी।

प्रस्ताव संख्या 5.03- विश्वविद्यालय के मानव संसाधन एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंध में संलग्न प्रस्ताव पर विचार।

उपरोक्त प्रस्ताव से परिषद अवगत हुयी तथा सम्यक विचार के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुये परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अपने आकार में काफी विकसित हो रहा है। अत: मानव संसाधन एवं शिक्षा के आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये विद्या शाखाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। प्रस्तावित कार्ययोजना को विभिन्न चरणों में बनाकर शासन को अनुदान हेतु भेजा जाना चाहिये। इसी के साथ बैठक में प्रस्तुत किये गये भावी योजना के दस्तावेज को स्वीकृत किया गया। परिषद ने इस हेतु अन्तिम निर्णय लिये जाने के लिये कुलपति को अधिकृत किया। नई विद्या शाखाओं हेतु परिनियमावली में संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये भी निर्दिष्ट किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.04- वर्तमान तथा नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं के अध्ययन बोर्डो की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुयी तथा अध्ययन बोर्डो की वर्तमान तथा नये पाठ्यक्रमों की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 5.05- विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश की नीति पर विचार।

उपरोक्त पर परिषद ने स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र केवल उत्तराखण्ड तक सीमित है। अत: ऐसे अभ्यर्थी जो विदेशी मूल के हैं वे उत्तराखण्ड में रहकर अध्ययन करेंगें तथा उनका पता उत्तराखण्ड का होना आवश्यक होगा। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर छात्र वीजा तथा भारत सरकार का अनुमति पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव के दिशा-निर्देशों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.06- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए उपाधि/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र की सूची तथा उन्हें वितरित किये जाने की विधि पर विचार एवं अनुमोदन।

उपरोक्त पर परिषद द्वारा विचारोपरान्त अद्यतन (02.05.2013) पूर्ण हो चुकी उपाधियों का अनुमोदन किया गया, तथा निर्दिष्ट किया कि वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 तक की उपाधियों की एक सूची बनाकर विद्यार्थियों को प्रेषित कर दी जायं। आगामी सत्रों के लिये दीक्षान्त समारोह करवा लिये जांय। इस पर समस्त सदस्यों की सहमति हुयी। इन सुझावों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.07- दूरस्थ शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 08 जून, 2012 में एक समय में दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश विषयक अधिसूचना पर विचार।

उपरोक्त पर परिषद ने विचार किया कि एक ही समय में केवल एक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाय जैसी व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रही है वह उचित है। विश्वविद्यालय में प्रचलित इस व्यवस्था का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.08- कम्प्यूटर साइंस एवं आई0टी0 विभाग में नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने, वर्तमान पाठ्यक्रमों के विषय-वस्तु में परिवर्तन एवं पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम शुल्क में परिवर्तन करने पर विचार।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुयी तथा निर्णय लिया कि कम्पयूटर साइंस एवं आई0टी0 विभाग में नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जाय। बाहरी संस्थाओं से अनुबंध करने से पूर्व संस्थाओं के अनुबंध की सेवा शर्ते देख ली जांय तथा इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आदर्श समझौता प्रारूप बना लिया जाय। प्रस्ताव का परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.09- एम0एड0 हेतु प्रवेश विधि, पाठ्यक्रम, शुल्क आदि के संबंध में विचार एवं अनुमोदन।

उपरोक्त विषय पर परिषद ने व्यापक विचार-विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की।

प्रस्ताव संख्या 5.10- पीएच0डी0 कोर्स वर्क का अनुमोदन।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुयी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पीएच0डी के लिये परीक्षा नियंत्रक के अधीन प्रवेश व पाठ्यकार्य की परीक्षा सम्पन्न करवाने की कार्यवाही की जाय। परीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष एक तिथि का निर्धारणकर लिया जाय व प्रवेश हेतु रूपरेखा बना ली जाय।

प्रस्ताव संख्या 5.11- कश्मीरी विस्थापितों के आश्रितों को प्रवेश हेतु परीक्षा सत्र 2013-14 में विभिन्न प्रकार की रियायतें देने के संबंध में।

उपरोक्त के संबंध में परिषद ने निर्णय लिया कि इसमें उत्तराखण्ड शासन के नियमों को अपनाते हुये कार्यवाही की जानी उचित होगी।

प्रस्ताव संख्या 5.12- परीक्षा समिति की दिनांक 24.04.2012 एवं 22.10.2012 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

उपरोक्त का परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा यह भी सुझाव दिया कि नीति निर्धारण संबंधी नियम अलग बनायें जांय व जो दैनिक कार्य हैं उन्हें अलग से दर्शाया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव संख्या 5.13 - भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के पत्र संख्या– एसएआई यू /एमएल/2013-14/11039-11433 दिनांक 25 फरवरी, 2013 पर विचार।

परिषद ने सर्वसम्मति से यह स्पष्ट किया कि दूरस्थ शिक्षा में अभ्यर्थियों की आयु का आकंलन नहीं होता जबकि क्रीडा इत्यादि एक निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत होते हैं। अत: इस हेतु दिशा-निर्देश बना लिये जायं तथा एक सहायक अध्यापक को समन्वयक बनाया जाय। तब तक कार्य पूर्व की भॉति सम्पन्न करवाये जाने पर सर्वसम्मति हुयी।

प्रस्ताव संख्या 5.14- यूजीसी/एएससी/एफडीपी द्वारा आयोजित ओरिएण्टेशन प्रोग्राम, रिफ्रैशर कोर्स इत्यादि में प्रतिभाग करने पर दिये जाने वाले कर्तव्यावकाश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुयी तथा इस विषय में विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा सुझाव दिया गया कि अध्यापकों को उपरोक्त शैक्षिक कार्यक्रमों में अपने कैरियर एडवांसमेंट हेतु प्रतिभाग करना अनिवार्य होता है। अत: विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ऐसे अवकाश स्वीकृति हेतु कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्ताव संख्या 5.15- विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 06 क्षेत्रीय केन्द्रों में एकीकृत प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुयी तथा सर्वसम्मति से एकीकृत प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.16- विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं उपाधि पत्र में दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से पूर्ण करने का उल्लेख होने विषयक प्रकरण पर विचार।

उपरोक्त के संबंध में परिषद ने स्पष्ट किया कि प्रामण-पत्र, डिप्लोमा इत्यादि पर दूरस्थ शिक्षा अंकित करने का प्राविधान केवल परम्परागत विश्वविद्यालय के लिये है और मुक्त विश्वविद्यालय को इसमें कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 5.17- विश्वविद्यालय में प्रस्तावित ऑन-लाईन पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने पर विचार।

प्रस्ताव से परिषद अवगत हुई और ऑन-लाईन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को सवीकृति प्रदान की।

प्रस्ताव संख्या 5.18- विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी भाषाओं यथा- चीनी, जापानी एवं स्पेनिश भाषाओं में प्रमाण-पत्र व डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने की सैद्वान्तिक सहमति पर विचार।

परिषद द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने पर अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.19- विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टेडीज के अन्तर्गत पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने की सराहना की गयी और प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या 5.20- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

1- विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय द्वितीय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना व कार्यों के विषय में प्रारम्भिक सूचना क्रमांक 3 के खण्ड 2 के संबंध में।

उपरोक्त के संबंध में परिषद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अपने अधिनियम के अनुसार इस पर कार्यवाही करें और विशिष्ट क्षेत्रों में कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

2- राज्य विश्वविद्यालय (कुमॉऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्राखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी तथा दून विश्वविद्यालय, देहरादून) राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरूप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा यू0जी0सी के मानदण्डों के अनुरूप शिक्षकों को लाभी देने पर सहमति जतायी लेकिन निर्णय लिया कि यह प्रस्ताव विद्या परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसे कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।

(गिरिजा प्रसाद पाण्डे)
कुलसचिव/सचिव विद्या परिषद

Approved
6/5/13
Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor